न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 14 / 2024	2024 / 37	24.06.2024	20.08.2024

1शरीफन पत्नी स्व0 भुल्या,
2.झडमल पुत्र स्व0 भुल्या,
3.जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 भुल्या,
4.शाहबुदीन खां पुत्र स्व0 भुल्या,
5.अयुब खां पुत्र स्व0 भुल्या,
6.मकसूदन पुत्री स्व0 भुल्या,
7.मुजफ्फर शरीफ पुत्र स्व0 सुबह खां पौत्र स्व0 भुल्या,
8.जुनेद खां पुत्र स्व0 सुबह खां पौत्र स्व0 भुल्या,
9.मुनफैद खां पुत्र स्व0 सुबह खां पौत्र स्व0 भुल्या,
10.फरमीना पत्नी स्व0 सुबह खां पौत्र भुल्या, निवासीयान नंगली झामावत तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.05.2024 नामान्तकरण संख्या 2639 वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर का विरासत इंतकाल सं. 2639, जिसे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.05.2024 को खोला जाकर ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त इंतकाल को स्वीकार किया गया, जिस विरासत इंतकाल को पूनर्विलोकन हेतु तहत न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के यहाँ पर भेजा गया, जिस विरासत इंतकाल सं. 2639 दिनांक 30.05. 2024 को खारिज किया गया। बमुराद मंसुख फरमाये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलार्थीगण।

उपस्थितः–

01.श्री राम लखन सिंह बैसला —वकील अपीलाण्ट्स
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.05.2024 नामान्तकरण संख्या 2639 वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा से व्यथित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आराजी खाता सं. 330 आराजी खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.78 है0, 1768 रकबा 0.70 है०, 1769 रकबा 0.84 है०. 1770 रकबा 0.01 है0, 1771 रकबा 0.86 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.19 है० वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर – राजस्थान में स्थित हैं। जिसमें अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर का सम्पूर्ण हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का हैं तथा अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर उक्त आराजीयात पर काबिज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर का स्वर्गवास दिनांक 30.05.2023 का हो चुका हैं तथा अपीलार्थीगण अपने पति, पिता, दादा व ससुर की उक्त वर्णित आराजीयात पर उनकी मृत्यु बतौर वारिस के काबिज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसके पश्चात हम अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर की मृत्यु होने पर उक्त आराजीयात की हम अपीलार्थीगण के नाम बतौर वारिस के विरासत इंतकाल सं. 2639 दिनांक 30.05.2024 को ग्राम पंचायत कलसाडा द्वारा स्वीकृत व मंजूर किया गया। जिस विरासत इंतकाल सं. 2639 का तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा द्वारा पुनर्विलोकन किया गया तथा तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से उक्त तस्दीक हुए इंतकाल सं. 2639 दिनांक 30. 05.2024 को अपने आदेश दिनांक 30.05.2024 के निरस्त फरमा दिया गया।

तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर (राज०) के आदेश दिनांक 30.05.2024 से व्यथित होकर यह अपील निम्न उजरात के साथ पेश है। विवादित आदेश तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर का हैं जिससे अपील को सुनने का न्याय क्षेत्र न्यायालय श्रीमान को हैं। विवादित आदेश दिनांक 30.05. 2024 का हैं जिससे अपील अंदर मियाद पेश है। तहत न्यायालय विवादित आदेश मनमाना व कयासीया तौर पर पारित किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश विधि विरूद्ध व प्राकृतिक एवं न्यायिक सिद्धांतो के विपरित पारित किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सम्यक रूप से तलब नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मौके कब्जे की रिपोर्ट तलब नहीं की गई। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। अपीलार्थीगण, मृतक मूल्या के विधिक वारिस, कायम मुकाम व उत्तराधिकारीगण हैं। जिस बाबत तहत न्यायालय द्वारा कोई जाँच नहीं की गई। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं तथा अपीलार्थीगण अपने बुजुर्गान मूल्या की मृत्यु पश्चात उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

ग्राम पंचायत कलसाडा द्वारा अपीलार्थीगण के पति, पिता, दादा व ससुर मूल्या की मृत्यु होने पर उसकी विरासत अपीलार्थीगण के नाम बाद जॉच सही तथ्यो पर स्वीकार की गई व अपीलार्थीगण के नाम विवादित इंतकाल सं. 2639 सही तथ्यो के आधार पर खोला गया। तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा के पास पुर्नविलोकन हेतु भेजे गये विरासत इंतकाल को खारिज करने का कोई विधिक, नैतिक एवं कानूनी अधिकार नही था। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश कानून से परे पारित किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश प्राकृतिक, न्यायिक व अपीलार्थीगण के मौके कब्जे के विरूद्ध पारित किया गया हैं। जिस विवादित आदेश से अपीलार्थीगण आहत व पीडित हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। मृतक मुल्या पुत्र सिताब के हम अपीलार्थीगण के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं हैं तथा मृतक मूल्या की विरासत हम अपीलार्थीगण के पक्ष में ना खोले जाने हेतु किसी भी दीगर सख्स द्वारा तहसीलदार मालाखेडा के यहाँ पर कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं और ना ही हम अपीलार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत कलसाडा द्वारा विवादित आराजीयात की बाबत स्वीकार किये गये विरासत इंतकाल सं. 2639 दिनांक 30. 05.2024 के विरूद्ध कोई उजदारी पेश की गई हैं। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश मनमाना व कयासीया तौर पर पारित किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। अन्य तर्क वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे। श्रीमान से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान का आदेश दिनांक 30.05. 2024 निरस्त फरमाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा अंकन कराया गया कि राजस्व ग्राम कलसाडा नामान्तरण संख्या 2639 दिनांक 30.05.2024 को विरासत से संबंधित था। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा 30.05.2024 को बिना पक्षकारों को सुने, बिना कोई कारण अवगत कराये, बिना आधार के ही खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नही है। मेरा नामान्तरण विरासत से संबंधित है। मेरा नामांतरण विधि के अनुसार जारी किया जाए एवं इस नामांतरण को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है। बहस पूर्ण।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। नामान्तरण परत से रिकॉर्ड का मिलान किया गया। नामान्तरण विरासत का है और वारिसों को रिकॉर्ड पर सुना जाना अत्यंत आवश्यक है। वारिसों का निर्धारण करना तहसीलदार का मूल कर्तव्य है। वारिसों का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निर्धारण किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। अपील विधिक होने से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा स्वीकृत/पारित इंतकाल संख्या 2639 निर्णय दिनांक 30.05.2024 वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि कार्यालय में प्रकरण दर्ज करें एवं वारिसों की सम्पूर्ण जांच कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 30 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर